रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938
No. 704] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/ CHAITRA 1, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

का.आ. 1166(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित है, यह अमचांग आरक्षित वन, दक्षिण अमचांग आरक्षित वन और खानापाडा आरक्षित वन से मिलकर बना है तथा 26° 13′ उ से 26° 06′ उ अक्षांश और 91° 50′ पू से 91° 58′ देशांतर की भौगोलिक सीमाओं में अवस्थित है और 78.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ;

और, अभयारण्य का मुख्य भाग छोटी पहाड़ियों से तरंगी और ढंका हुआ है जो अद्वितीय वन्यजीव निवास के साथ अद्वितीय भू-आकृति विज्ञान सुविधा के लिए है। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य पशुओं और पौधों की प्रजातियों की व्यापक विविधता के लिए समृद्ध और विविध पारिस्थितिक आवासों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पशुओं में हुलांक उतक, चीन साल, सूरज-भगत, असमिया लघु पुच्छ वानर, केपड लंगूर, लजीला वानर, तेंदुआ, हाथी, सांभर, मुंजक, गौर आदि पाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जीवजंतु, सरीसृपों, उभयचरों और कीड़े मकोड़े की विस्तृत विविधता पाई जाती है।

और, अभयारण्य गुवाहाटी शहर की पूर्वी सीमा पर अवस्थित है तथा सीमांत क्षेत्रों में जैविक दबाव में वृद्धि से अभयारण्य का पर्यावास प्रभावित हो सकता है।

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 170 मीटर से 8.1 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को अमचांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(**1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 109.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका विस्तार अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 170 मीटर से 8.1 वर्ग किलोमीटर तक है और उस जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 37 ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन;
(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगरपालिका;
(vi) राजस्व;
(vii) कृषि;
(viii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 20, 26, 31, और सं. 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना;
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं;
(v) वर्षा जल संचयन ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना असम सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटलों और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों, जिसके अंतर्गत तेल और गैस की नई खोज भी है, की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(5)	नए ताप और मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से के संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना के सिवाय। तथापि, 1 किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन मास्टर प्लान और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा।
(12)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(13)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(14)	भू- जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(15)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्य योजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा
(16)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रूप से विद्युत रोधित किया जाएगा ।
(18)	सुरक्षा शिवरों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(19)	रोपवे का संनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(24)	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।

		(घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(26)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(27)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	जैविक खेती में जैव उर्वरक का उपयोग सम्मिलित है ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	वर्षा जल संचयन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो) - अध्यक्ष ;
2. पुलिस उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो) पूर्व – सदस्य ;
3. पुलिस उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो), केंद्रीय - सदस्य;
4. निदेशक, असम पर्यटन विभाग- सदस्य;
5. प्रभागीय वन अधिकारी, कामरूप पूर्व विभाग – सदस्य ;
6. असम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य ;
7. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए असम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;
8. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कामरूप महानगर जिला – सदस्य;

9. प्रभागीय अधिकारी, मृदा संरक्षण प्रभाग, कामरूप महानगर जिला – सदस्य ;

10. ज्येष्ठ पर्यावरण इंजीनियर (प्रादेशिक कार्यालय), बामुनीमैदाम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड– सदस्य ;

11. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कामरूप महानगर जिला – सदस्य ;

12. जिला कृषि अधिकारी, कामरूप महानगर जिला– सदस्य ;

13. जिला पशुपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी, कामरूप महानगर जिला– सदस्य;

14. कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (सड़क प्रभाग), कामरूप महानगर जिला– सदस्य ;

15. कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (भवन प्रभाग), कामरूप महानगर जिला– सदस्य;

16. प्रभागीय वन अधिकारी, गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग- सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/204/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर सीमा : अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की उत्तरी सीमा भू-भाग (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 12′ 14.7″ पू 91° 51′ 29.4″) के उत्तरी भाग में पानीखैती में रेलवे भू-भाग के स्तर को पार करके स्थित पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.1 से आरंभ होकर और ब्रह्मपुत्र नदी को पोर करती है और 7415 मीटर की दूरी पर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 16′ 15.7″ पू 91° 51′ 26.4″) बिन्दु सं. 2 से मिलती है । इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है । पारिस्थितक संवेद जोन बिन्दु सं. 2 सं पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 3 तक की दूरी 6454 मीटर है सीमा ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर टर के साथ जाती है । और पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 3 (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 16′ 56.7″ पू 91° 55′ 14.6″) से मिलती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 3 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु 4 तक यह दक्षिण पूर्व दिशा की और जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करती है और दक्षिण तट से 4983 मीटर (जी पी एस निर्देशांकs उ 26° 15′ 05.3″ पू 91° 57 25.0″) की दूरी पर पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 4 पहँचती है जहाँ कोलोंग नदी मिलती है । पारिस्थितक संवेदी जोन बिन्दु सं. 4 से पारिस्थितिक संवेदी जोन से बिन्दु सं. 5 तक यह 856 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 14′ 38.2″ पू 91° 57′ 31.9″) की दूरी पर एस. एच-3 के कोलोंग नदी पुल के दक्षिण-पूर्व कोण की ओर जाती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 5 पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 6 तक सीमा रेखा चंद्रपुर डीगरु पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के निकट से होते हुए 2454 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 14′ 0.6″ पू 91° 56′ 31.9″) की दूरी पर जाती है पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 6 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 7 तक सीमा राखा रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद उसी सड़क पर 977 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 13′ 28.9″ पू 91° 56′ 16.1″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है ।

पूर्व सीमा : पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.7 पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 8 तक सीमा रेखा उसी सड़क के उत्तर किनारे पर 2412 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°13′11.2″ पू 91°57′ 40.8″) की दूरी पूर्व की ओर जाती है और रेलवे भू-भाग के पश्चिम की ओर जाती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.8 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 9 तक सीमा रेखा चंद्रपुर-डीगरु पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के पूर्वी भाग पर 626 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°12′50.9″ पू 91° 57′ 39.5″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है पारिस्थितिक संवेदी

जोन बिन्दु सं. 9 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 10 तक सीमा रेखा 455 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º12′39.6″ पू 91º 57′ 50.1″) की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। ओर रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद डीगरु नदी के पश्चिम तट से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.11 तक सीमा रेखा रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद चंद्रपुर डीगरु पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के दक्षिण किनारे पर 890 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º12′11.4″ पू 91º 57′ 57.3″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 11 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 12 तक सीमा रेखआ पनबरी ग्राम के धानभूमी क्षेत्र से होते हुए 409 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º11′58.1″ पू 91º 57′ 57.5″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.12 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 13 तक सीमा रेखा बेलगुरी ग्राम के पश्चिम भाग में 3263 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º10′13.9″ पू 91º57′35.6″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.13 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 14 तक सीमा रेखा बेलगुरी क्षेत्र में 891 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º09′57.3″ पू 91º 57′ 09.3″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 14 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 15 तक सीमा रेखा अमसींगा जोराबट पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के उत्तर भाग पर 1106 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º09′27.6″ पू 91º 56′ 46.8″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.15 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 16 तक सीमा रेखा बमुनखत ग्राम के पश्चिम 1717 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º08′32.6″ पू 91º 56′ 57.3″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.16 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 17 तक सीमा रेखा बतकुची ग्राम के उत्तरी भाग में 723 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º08′15.5″ पू 91º 56′ 39.4″) की दूरी पर पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.17 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 18 तक सीमा 1208 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º07′37.9″ पू 91º 56′ 36.9″) की दूरी पर दक्षिण की ओर जाती है और जुगदाल डीगरु तीनीअली सड़क के पूर्वी भाग से मिलती है।

<u>दक्षिण सीमा</u> : पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.18 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 19 तक सीमा रेखा लालमती ग्राम के दक्षिण से 736 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º07′26.0″ पू 91º 56′ 03.9″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 19 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 20 तक सीमा रेखा नजीराखत क्षेत्र में एन.एच. 37 के उत्तरी भाग में 478 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º07′20.7″ पू 91º 55′ 47.7″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 20 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 21 तक सीमा रेखा नजीराखत क्षेत्र में एन. एच. 37 के उत्तर से 766 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º07′21.3″ पू 91º 55′ 20.1″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 21 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 22 तक सीमा रेखा 774 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26º07′17.2″ पू 91º 54′ 52.6″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। और तेपेसिया क्षेत्र में एन.एच 37 के उत्तरी भाग में मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 22 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 23 तक सीमा रेखा दक्षिण

पश्चिम दिशा की ओर जाती है। और मेधीकुची क्षेत्र में एन.एच. 37 के दक्षिण से 649 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′09.7″ पू 91° 54′19.5″) की दूरी पर एन.एच. 37 को पार करके जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 23 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 24 तक सीमा रेखा एन. एच. 37 के उत्तर से 1517 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 06′ 56.2″ पू 91° 53′ 27.1″) की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 24 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 25 तक सीमा रेखा एन. एच. 37 को पार करके 1225 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°06′16.7″ पू 91° 53′ 21.4″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और मरकदोला आर. एफ से होते हुए 409 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°06′06.4″ पू 91° 53′ 12.1″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 26 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 27 तक सीमा रेखा जोराबट के निकट घनश्याम ग्राम के दक्षिण भाग से 713 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°05′57.32″ पू 91°52′48.5″) की दूरी पर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 27 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 28 तक सीमा रेखा 375 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°05′57.6″ पू 91° 52′ 35.0") की दूरी पर पश्चिम की ओर जाती है। जोराबट में एन.एच. 37 और एन.एच. 44 के जंक्शन बिंदु से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 28 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 29 सीमा रेखा 6582 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′08.7″ पू 91° 49′19.9″) की दूरी पर खानापारा फ्लाईओवर के एन. एच-37 के दक्षिणी किनारे के साथ जाती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 23 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 26 तक पी. ए. सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के बीच की दूरी 300 मीटर है।

<u>पश्चिम सीमा</u> : पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 29 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 30 तक सीमा रेखा 1083 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′42.5″ पू 91°49′08.3″) की दूरी पर उत्तर की ओर जाती है और वेटेरनरी कॉलेज हॉस्टल, खानापारा के पीछे से जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 30 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 31 तक सीमा रेखा संकरदेव कालाखेता के उत्तर भाग के साथ 566 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°07′09.3″ पू 91°49′16.6″) की दूरी पर उत्तर की ओर जाती है इसके बाद छः मील-पनजाबरी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के दक्षिण भाग से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 31 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 32 तक सीमा रेखा छः मील पनजाबरी सड़क के साथ जाती है यह 1141 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°08′07.4″ पू 91° 50′03.7″) की दूरी पर आर्मी गेट से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 32 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 33 तक सीमा रेखा नरेनगी आर्मी कैट से होते हुए 2807 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 08′15.1″ पू 91° 51′07.5″) की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 33 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 34 तक सीमा रेखा 1812 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°08′53.3″ पू 91°51′57.2″) की दूरी पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाती है और नरेनगी आर्मी कैंट से होते हुए जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 34 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 35 तक सीमा रेखा 2183 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ

26° 09′04.1″ पू 91° 50′39.5″) की दूरी पर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और सतगाँव आर्मी गेट के दक्षिण भाग से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 35 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 36 तक सीमा रेखा 760 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 09′25.7″ पू 91° 50′26.2″) की दूरी पर उत्तर की ओर जाती है और पथरकुररी तीनीअली में खानापारा-नरेनगी वी.आई.पी एक्सप्रेस राजमार्ग से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 36 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 37 सीमा रेखा खानापारा नरेनगी वी.आई.पी. एक्सप्रेस राजमार्ग के पूर्वी भाग के साथ दमल बील (जल निकाय) को ढंककर नरेनगी तीनीअली के 1842 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 10′12.1″ पू 91° 49′44.3″) की दूरी पर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 37 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 38 तक सीमा रेखा 1081 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26° 10′46.3″ पू 91° 49′53.2″) की दूरी पर नरेनगी तीनीअली के निकट रेलवे भू-भाग को पार करने के बाद विद्यार्थी भवन के उत्तर की ओर जाती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 38 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 39 तक सीमा रेखा 714 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ26°10′59.6″ पू91° 50′14.3″) की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा की और जाती है जहाँ यह बोनदजन के रेलवे भू-भाग (नरेनगी-डीगरु) से मिलती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 39 से पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं. 1 तक सीमा रेखा 3113 मीटर (जी पी एस निर्देशांक उ 26°12′14.7″ पू 91° 51′29.4″) की दूरी पर रेलवे भू-भाग के साथ उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और पानीखाइनी रेलवे स्तर के पार करके पारिस्थितिक संवेदी जोन बिन्दु सं.1 से मिलती है।

उपाबंध-II

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं.	**ग्राम**	**जिला**
1.	कमरकुची ग्राम	**कमरूप**
2.	झर गांव	कमरूप
3.	चागोली गांव	कमरूप
4.	पतरकुछी	कमरूप
5.	हातीमुरा	कमरूप
6.	जुगदल ग्राम	कमरूप
7.	मेधीकुची ग्राम	कमरूप
8.	गरिया घुली ग्राम	कमरूप
9.	घनश्याम बस्ती	कमरूप

10.	बोटाघुली (इसुब नगर)	कमरूप
11.	झरना बस्ती	कमरूप
12.	घुली गांव	कमरूप
13.	हस्तिनापूर	कमरूप
14.	हल्दीबरी ग्राम	कमरूप
15.	नजीराखत	कमरूप
16.	बोटाकुची ग्राम	कमरूप
17.	बेलगुरी बस्ती	कमरूप
18.	कलीताकुची बस्ती	कमरूप
19.	टालटोला तलटोल नेपाली बस्ती	कमरूप
20.	इमली बस्ती	कमरूप
21.	सतगांव	कमरूप
22.	सं 1 सतटोल बस्ती	कमरूप
23.	खानापारा (एन.के बस्ती)	कमरूप
24.	मधहन नगर	कमरूप
25.	नावाज्याति नगर	कमरूप
26.	अमगांव टातीबगन	कमरूप
27.	बारीकुची ग्राम	कमरूप
28.	ठाकुरकुची ग्राम	कमरूप
29.	हजमबोरी ग्राम	कमरूप
30.	हतीसीला पहर	कमरूप
31.	ईकोरा बस्ती	कमरूप
32.	लाहापारा(पानीखाईती)	कमरूप
33.	पानीखाईती रलीगेट	कमरूप
34.	पनबरी ग्राम	कमरूप
35.	गारोबस्ती रोजाकुची	कमरूप
36.	बीरकुची सं. 2	कमरूप
37.	गांधी नगर(पानीखती)	कमरूप

उपाबंध-III

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र

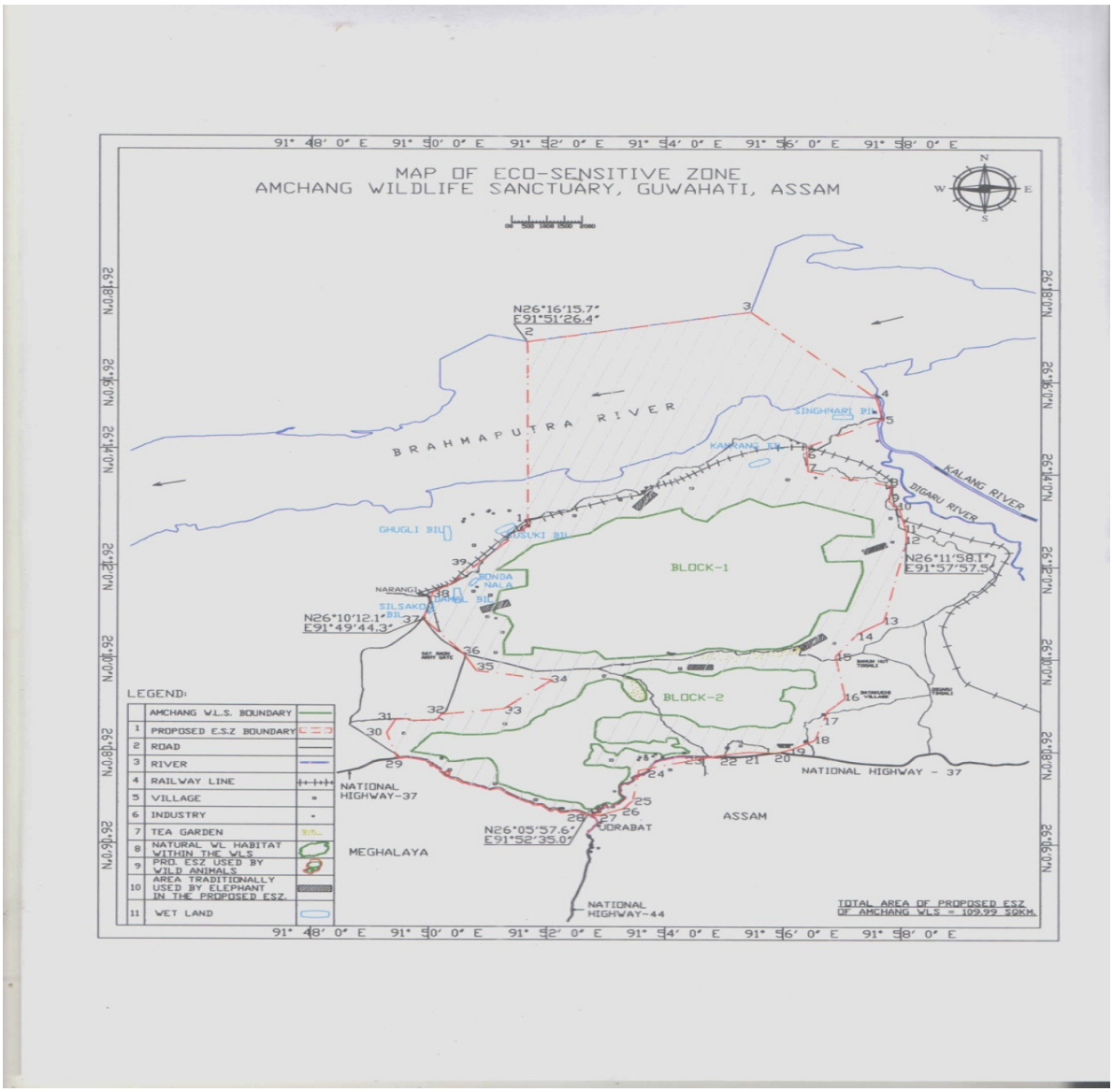

अमचांग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक		
क्र.सं	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	उ26° 12' 14.7"	पू 91° 51' 29.4"
2	उ26° 16' 15.7"	पू 91° 51' 26.4"
3	उ26° 16' 56.7"	पू 91° 55' 14.6"
4	उ26° 15' 05.3"	पू 91° 57' 25.0"
5	उ26° 14' 38.2"	पू 91° 57' 31.9"

6	उ26° 14' 00.6"	पू 91° 56' 13.9"
7	उ26° 13' 28.9"	पू 91° 56' 16.1"
8	उ26° 13' 11.2"	पू 91° 57' 40.8"
9	उ26° 12' 50.9"	पू 91° 57' 39.5"
10	उ26° 12' 39.6"	पू 91° 57' 50.1"
11	उ26° 12' 11.4"	पू 91° 57' 57.3"
12	उ26° 11' 58.1"	पू 91° 57' 57.5"
13	उ26° 10' 13.9"	पू 91° 57' 35.6"
14	उ26° 09' 57.3"	पू 91° 57' 09.3"
15	उ26° 09' 27.6"	पू 91° 56' 46.8"
16	उ26° 08' 32.6"	पू 91° 56' 57.3"
17	उ26° 08' 15.5"	पू 91° 56' 39.4"
18	उ26° 07' 37.9"	पू 91° 56' 26.9"
19	उ26° 07' 26.0"	पू 91° 56' 03.9"
20	उ26° 07' 20.7"	पू 91° 55' 47.7"
21	उ26° 07' 21.3"	पू 91° 55' 20.1"
22	उ26° 07' 17.2"	पू 91° 54' 52.6"
23	उ 26° 07' 09.7"	पू 91° 54' 19.5"
24	उ26° 06' 56.2"	पू 91° 53' 27.1"
25	उ26° 06' 16.7"	पू 91° 53' 21.4"
26	उ26° 06' 06.4"	पू 91° 53' 12.1"
27	उ26° 05' 57.3"	पू 91° 52' 48.5"
28	उ25° 05' 57.6"	पू 91° 52' 35.0"
29	उ26° 07' 08.7"	पू 91° 49' 19.9"
30	उ26° 07' 42.5"	पू 91° 49' 08.3"
31	उ26° 07' 59.3"	पू 91° 49' 16.6"
32	उ26° 08' 06.6"	पू 91° 49' 26.9"
33	उ26° 08' 15.1"	पू 91° 51' 07.5"
34	उ26° 08' 53.3"	पू 91° 51' 57.2"
35	उ26° 09' 04.1"	पू 91° 50' 39.5"
36	उ26° 09' 25.7"	पू 91° 50' 26.2"
37	उ26° 10' 12.1"	पू 91° 49' 44.3"
38	उ26° 10' 46.3"	पू 91° 49' 53.2"
39	उ26° 10' 59.6"	पू 91° 50' 14.3"

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

S.O.1166(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Amchang Wildlife Sanctuary situated in Kamrup District of State of Assam consists of Amchang Reserve Forest, South Amchang Reserve Forest and Khanapara Reserve Forest and located within the geographical limits of 26^{o} 13′N to 26^{o} 06′ N latitude and 91^{o} 50′ E to 91^{o} 58′ longitude and is spread over an area of 78.64 square kilometers;

And whereas, major portion of the sanctuary is undulating and covered by hillocks which forms a unique geomorphologic feature with unique wildlife habitat. The Amchang Wildlife Sanctuary represents one of the rich and ecologically diverse habitat for the wide variety of animals and plant species. Hollockgibbon, Chinese pangolin, Flying squirrel, Assamese Macaque, Capped languor, Slow loris, Leopard, Elephant, Sambar, Barking Deer, Gaur etc., are the principal animals found in the wildlife sanctuary. In addition to these a wide variety of avian fauna, reptiles, amphibians and insects are found in the wildlife sanctuary;

And whereas, the sanctuary is located on the eastern limit of Guwahati city and the increase in biotic pressure in the fringe areas can affect the habitat of the sanctuary;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 170 meters to 8.1 kilometre around the boundary of Amchang Wildlife Sanctuary in the State of Assam as Eco-sensitive Zone of Amchang Wildlife Sanctuary (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 109.99 square kilometres with an extent varying from 170 meters to 8.1 kilometre around the boundary of Amchang Wildlife Sanctuary and boundary description of Zone of such is given in **Annexure-I.**

(2) The list of 37 villages falling with the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and latitude is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Assam State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation; and
(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government,

to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 20, 26, 31 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism of the State Government in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Amchang Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and presented and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for

their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** No discharge of untreated effluent shall be permitted. The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into Bio-degradable and non-Bio-degradable components;

(iii) the Bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.-The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-**(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)

Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries including new oil and gas exploration causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive

		Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) beyond one kilometre up to the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
13.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under; (c) in case of reserve forests and protected forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
16.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electric cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
18.	Setting up of security camps.	Regulated under applicable laws.

19.	Construction of ropeways.	Regulated under applicable laws.
20.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
22.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial the applicable laws.
24.	Drastic change of agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any sources including agriculture.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
Permitted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, cattle rearing, aquaculture.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming including use of	Shall be actively promoted.

	Bio-Fertilizer.	
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone which shall comprise of the following namely:-

(1) Deputy Commissioner, Kamrup (Metro),	- Chairman,
(2) Deputy Commissioner Police, Kamrup (Metro) East,	- Member,
(3) Deputy Commissioner Police, Kamrup (Metro) Central,	- Member,
(4) Director, Assam tourism Department,	- Member,
(5) Divisional Forest Officer, Kamrup East Division,	- Member,
(6) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Assam for a period of one year,	-Member,
(7) One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Assam for a period of one year,	-Member,
(8) Project Director District Rural Development Agency Kamrup Metropolitan District,	- Member,
(9) Divisional Officer, Soil Conservation Division, Kamrup Metropolitan District,	- Member,
(10) Senior Environmnet Engineer (Regional Office), Bamunimaidam, Pollution Control Board,	- Member,
(11) General Manager, District Industries Centre, Kamrup Metropolitan District,	- Member,
(12) District Agriculture Officer, Kamrup Metropolitan District,	- Member,
(13) District Animal Husbandry & Veterinary Officer, Kamrup Metropolitan District,	- Member,

(14) Executive Engineer, Public Works Department (Road Division), Kamrup Metropolitan District,	- Member,
(15) Executive Engineer, Public Works Department (Building Division), Kamrup Metropolitan District	- Member,
(16) Divisional Forest Officer, Guwahati Wildlife Division.	- Member-Secretary.

6. Terms of Reference.- (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/204/2015-ESZ -RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE – I

BOUNDARY DESCRIPTION OF PROPOSAL ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY

North : Northern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone of Amchang Wildlife Sanctuary starts from Eco-sensitive Zone point No. 1 located on the level crossing of Railway tract at Panikhaiti at the northern side of the tract (GPS Co-ordinate N 26° 12′ 14.7″ E 91° 51′ 29.4″) and crosses the River Brahmaputra and meets point No. 2 at a distance of 7415 mtrs. (GPS Co-ordinate N 26° 16′ 15.7″ E 91° 51′ 26.4″). Then it runs towards north east direction. From Eco-sensitive Zone point No. 2 to Eco-sensitive Zone point No. 3 for a distance of 6454 metres. The boundary runs along the north bank of river Brahmaputra and meet Eco-sensitive Zone point No. 3 (GPS Co-ordinate N 26° 16′ 56.7″ E 91° 55′ 14.6″). From Eco-sensitive Zone point No. 3 to Eco-sensitive Zone point No. 4 it runs towards south east direction and crosses the River Brahmaputra and reaches the ESZ point No. 4 at a distance of 4983 mtrs. (GPS Co-ordinates N 26° 15′ 05.3″ E 91° 57 25.0″) to the south bank where it meets the Kolong River. From Eco-sensitive Zone point No. 4 to ESZ point No. 5 it runs up to the south- east corner of Kolong river bridge on the SH-3 at a distance of 856 mtrs. (GPS Co-ordinate N 26° 14′ 38.2″ E 91° 57′ 31.9″). From Eco-sensitive Zone point No. 5 to Eco-sensitive Zone point No. 6 the boundary line runs for a distance of 2454 meter. (GPS Co-ordinate N 26° 14′ 0.6″ E 91° 56′ 31.9″) passes through near Chandrapur Digaru PWD road. From Eco-sensitive Zone point No. 6 to Eco-sensitive Zone point No. 7 the boundary line runs towards south for a distance of 977 meter. (GPS Co-ordinate N 26° 13′ 28.9″ E 91° 56′ 16.1″) on the same road after crossing the railway tract.

East : From Eco-sensitive Zone point No. 7 to Eco-sensitive Zone point No. 8 the boundary line runs towards east for a distance of 2412 meters (GPS Co-ordinate N 26°13′11.2″ E 91°57′ 40.8″) on the north edge of the same road and west ward of the railway tract. From Eco-sensitive Zone point No. 8 to Eco-sensitive Zone point No. 9 the Boundary line runs towards south for a distance of 626 meters. (GPS Co-ordinate N 26°12′50.9″ E 91° 57′ 39.5″) on the eastern side of Chandrapur-Digaru Public Works Department road. From Eco-sensitive Zone point No. 9 to Eco-sensitive Zone point No. 10 the boundary line runs towards south east direction for a distance of 455 meters. (GPS Co-ordinate N 26°12′39.6″ E 91° 57′ 50.1″) and meets the western bank of Digaru River after crossing the railway tract. From Eco-sensitive Zone point No. 10 to Eco-sensitive Zone point No. 11 the boundary line runs towards south for a distance of 890 meters. (GPS Co-ordinate N 26°12′11.4″ E 91° 57′ 57.3″) on the south edge of Chandrapur Digaru Public Works Department road after crossing the railway tract. From Eco-sensitive Zone point No. 11 to Eco-sensitive Zone point No. 12 the boundary line runs towards south for a distance of 409 mtrs. (GPS Co-ordinate N 26°11′58.1″ E 91° 57′ 57.5″) through Panbari village paddy field area. From Eco-sensitive Zone point No. 12 to Eco-sensitive Zone point No. 13 the boundary line runs towards south for a distance of 3263 meters. (GPS Co-ordinate N26°10′13.9″ E 91°57′35.6″) in west side of Belguri village. From Eco-sensitive Zone point No. 13 to Eco-sensitive Zone point No. 14 the boundary line runs towards south west direction for a distance of 891 meters.(GPS Co-ordinate N 26°09′57.3″ E 91° 57′ 09.3″) in Belguri area. From Eco-sensitive Zone point No. 14 to Eco-sensitive Zone point No. 15 the boundary line runs towards south for a distance of 1106 meters. (GPS Co-ordinate N 26°09′27.6″ E 91° 56′ 46.8″) on the north side of Amsing Jorabat Public Works Department road. From Eco-sensitive Zone point No. 15 to Eco-sensitive Zone point No. 16 the boundary lines runs towards south for a distance of 1717 meters. (GPS Co-ordinate N 26°08′32.6″ E 91° 56′ 57.3″) to the west of Bamunkhat village. From Eco-sensitive Zone point No. 16 to Eco-sensitive Zone point No. 17 the boundary line runs towards south for a distance of 723 meters. (GPS Co-ordinate N 26°08′15.5″ E 91° 56′ 39.4″) in the northern side of Batakuchi village. From Eco-sensitive Zone point No. 17 to Eco-sensitive Zone

point No. 18 the boundary line runs towards south for a distance of 1208 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′37.9″ E 91° 56′ 36.9″) and meets the eastern side of Jugdol- Digaru Tiniali road.

South: From Eco-sensitive Zone point No. 18 to Eco-sensitive Zone point No. 19 the boundary line runs towards south west direction for a distance of 736 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′26.0″ E 91° 56′ 03.9″) to the south of Lalmati Village. From Eco-sensitive Zone point No. 19 to Eco-sensitive Zone point No. 20 the boundary line runs towards west for a distance of 478 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′20.7″ E 91° 55′ 47.7″) in the northern side of NH-37 at Nazirakhat area. From Eco-sensitive Zone point No. 20 to Eco-sensitive Zone point No. 21 the boundary line runs towards west for a distance of 766 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′21.3″ E 91° 55′ 20.1″) to the north of NH-37 in Nazirakhat area. From Eco-sensitive Zone point No. 21 to Eco-sensitive Zone point No. 22 the boundary line runs towards west for a distance of 774 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′17.2″ E 91° 54′ 52.6″) and meets the northern side of NH-37 in Tepesia area. From Eco-sensitive Zone point No. 22 to Eco-sensitive Zone point No. 23 the boundary line runs towards south-west direction and crosses the NH-37 at a distance of 649 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′09.7″ E 91° 54′19.5″) to the south of NH-37 in Medhikuchi area. From Eco-sensitive Zone point No. 23 to Eco-sensitive Zone point No. 24 the boundary line runs towards west for a distance of 1517 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 06′ 56.2″ E 91° 53′ 27.1″) to the north of NH-37. From Eco-sensitive Zone point No. 24 to Eco-sensitive Zone point No. 25 the boundary line runs towards south west for a distance of 1225 meters. (GPS Co-ordinate N 26°06′16.7″ E 91° 53′ 21.4″) crosses NH 37 and passes through Marakdola R.F. From Eco-sensitive Zone point No. 25 to Eco-sensitive Zone point No. 26 the boundary line runs towards south west for a distance of 409 meters. (GPS Co-ordinate N 26°06′06.4″ E 91° 53′ 12.1″) passes through Marakdola Reserve Forest From Eco-sensitive Zone point No. 26 to Eco-sensitive Zone point No. 27 the boundary line runs towards south west for a distance of 713 meters. (GPS Co-ordinate N 26°05′57.32″ E 91°52′48.5″) south side of Ghanashyam village near Jorabat. From Eco-sensitive Zone point No. 27 to Eco-sensitive Zone point No. 28 the boundary line runs towards west for a distance of 375 meters. (GPS Co-ordinate N 26°05′57.6″ E 91° 52′ 35.0") and meets junction point of NH-37 and NH-44 at Jorabat. From Eco-sensitive Zone point No. 28 to Eco-sensitive Zone point No. 29 the boundary line runs along the southern edge of NH-37 up to Khanapara flyover at a distance of 6582 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′08.7″ E 91° 49′19.9″).
From Eco-sensitive Zone point No. 23 to Eco-sensitive Zone point No. 26 the distance in between the protected area boundary and the Eco-sensitive Zone boundary is 300 meter.

West : From Eco-sensitive Zone point No. 29 to Eco-sensitive Zone point No. 30 the boundary line runs towards north for a distance of 1083 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′42.5″ E 91°49′08.3″) and runs behind the Veterinary College Hostel, Khanapara. From Eco-sensitive Zone point No. 30 to Eco-sensitive Zone point No. 31 the boundary line runs towards north for a distance of 566 meters. (GPS Co-ordinate N 26°07′09.3″ E 91°49′16.6″) along the north side of Sankardev Kalakhetra then meets the southern side of Six Mile- Panjabari Public Works Department road. From Eco-sensitive Zone point No. 31 to Eco-sensitive Zone point No. 32 the boundary line runs along the Six mile Pannjabari road till it meet Army gate for a distance of 1141 meters. (GPS Co-ordinate N 26°08′07.4″ E 91° 50′03.7″). From Eco-sensitive Zone point No. 32 to Eco-sensitive Zone point No. 33 the boundary line runs towards east direction for a distance of 2807 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 08′15.1″ E 91° 51′07.5″) through the Narengi Army Cantonment. From Eco-sensitive Zone point No. 33 to Eco-sensitive Zone point No. 34 the boundary line runs towards north-east direction for a distance of 1812 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 08′53.3″ E 91°51′57.2″) and passes through Narengi Army Cantonment. From Eco-sensitive Zone point No. 34 to Eco-sensitive Zone point

No. 35 the boundary line runs towards north-west direction for a distance of 2183 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 09′04.1″ E 91° 50′39.5″) and meets the southern side of Satgaon Army gate. From Eco-sensitive Zone point No. 35 to Eco-sensitive Zone point No. 36 the boundary line runs towards north for a distance of 760 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 09′25.7″ E 91° 50′26.2″) and meets at Khanapara-Narengi VIP Express Highway at Patharquarry Tiniali. From Eco-sensitive Zone point No. 36 to Eco-sensitive Zone point No. 37 the boundary line runs along the eastern side of Khanapara–Narengi VIP express Highway for a distance of 1842 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 10′12.1″ E 91° 49′44.3″) up-to Narengi Tiniali covering the Damal Beel (Water body). From Eco-sensitive Zone point No. 37 to Eco-sensitive Zone point No. 38 the boundary line runs towards north up to Vidyarthi Bhaban after crossing the Railway tract near Narengi Tiniali for a distance of 1081 meters. (GPS Co-ordinate N 26° 10′46.3″ E 91° 49′53.2″). From Eco-sensitive Zone point No. 38 to Eco-sensitive Zone point No. 39 the boundary line runs towards north East direction for a distance of 714 meters. (GPS Co-ordinate N26°10′59.6″ E91° 50′14.3″) where it meets Bondajan on the Railway tract (Narengi-Digaru). From Eco-sensitive Zone point No. 39 to Eco-sensitive Zone point No. 1 the boundary line runs towards north east direction along the railway tract at a distance of 3113 meters.(GPS Co-ordinate N 26°12′14.7″ E 91° 51′29.4″)and meets Eco-sensitive Zone point No. 1 at Panikhaity Railway level crossing.

ANNEXURE-II

LIST OF REVENUE VILLAGES IN PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	Village	District
1.	Kamarkuchi village	Kamrup
2.	Jhar gaon	Kamrup
3.	Chagoli Gaon	Kamrup
4.	Patarkuchi	Kamrup
5.	Hatimura	Kamrup
6.	Jugdal Village	Kamrup
7.	Medhikuchi Village	Kamrup
8.	Garia Ghuli Village	Kamrup
9.	Ghanasyam Basti	Kamrup
10.	Botaghuli (Eusub Nagar)	Kamrup
11.	Jharna Basti	Kamrup
12.	Ghuli Gaon	Kamrup
13.	Hastinapur	Kamrup
14.	Haldibari Village	Kamrup
15.	Nazirakhat Village	Kamrup

16.	Botakuchi Village	Kamrup
17.	Belguri Basti	Kamrup
18.	Kalitakuchi Basti	Kamrup
19.	Taltola Nepali Basti	Kamrup
20.	Eimly Basti	Kamrup
21.	Satgaon	Kamrup
22.	1 No. Taltola Basti	Kamrup
23.	Khanapara (N.K.Garo Basti)	Kamrup
24.	Madhab Nagar	Kamrup
25.	Navajyoti Nagar	Kamrup
26.	Amgaon Tatibagan	Kamrup
27.	Birkuchi Village	Kamrup
28.	Thakurkuchi Village	Kamrup
29.	Hajambori Village	Kamrup
30.	Hatisila Pahar	Kamrup
31.	Eikora Basti	Kamrup
32.	Lahapara (panikhaiti)	Kamrup
33.	Panikhaiti Raligate	Kamrup
34.	Panbari Village	Kamrup
35.	Garobasti Rojakuchi	Kamrup
36.	Birkuchi No. 2	Kamrup
37.	Gandhi Nagar (Panikhaiti)	Kamrup

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF AMCHANG WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

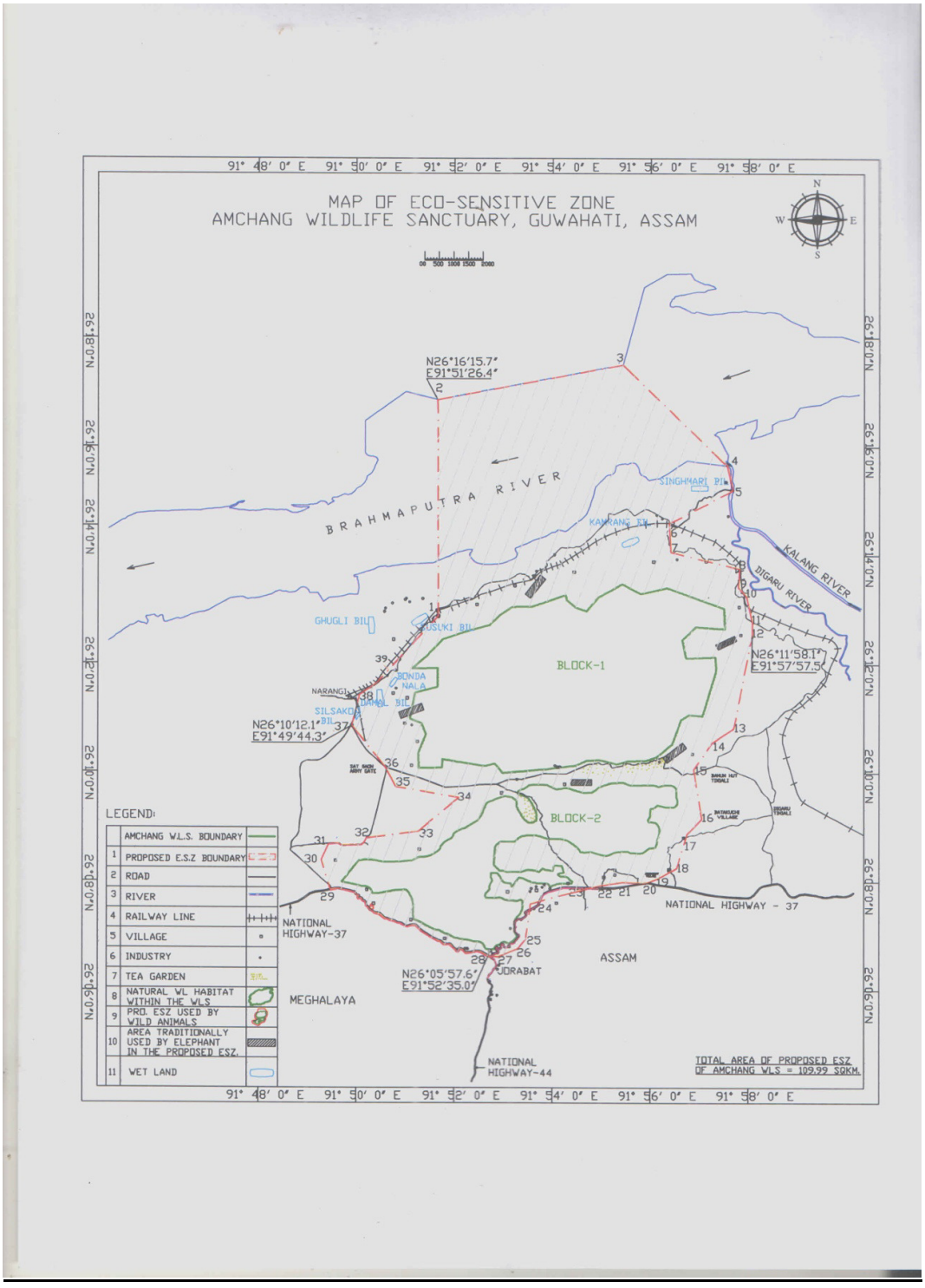

GPS COORDINATE OF THE BOUNDARY OF PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE OFAMCHANG WILD LIFE SANCTUARY

Sl. No.	LATITUDE	LONGITUDE
1	N26° 12' 14.7"	E 91° 51' 29.4"
2	N26° 16' 15.7"	E 91° 51' 26.4"
3	N26° 16' 56.7"	E 91° 55' 14.6"
4	N26° 15' 05.3"	E 91° 57' 25.0"
5	N26° 14' 38.2"	E 91° 57' 31.9"
6	N26° 14' 00.6"	E 91° 56' 13.9"
7	N26° 13' 28.9"	E 91° 56' 16.1"
8	N26° 13' 11.2"	E 91° 57' 40.8"
9	N26° 12' 50.9"	E 91° 57' 39.5"
10	N26° 12' 39.6"	E 91° 57' 50.1"
11	N26° 12' 11.4"	E 91° 57' 57.3"
12	N26° 11' 58.1"	E 91° 57' 57.5"
13	N26° 10' 13.9"	E 91° 57' 35.6"
14	N26° 09' 57.3"	E 91° 57' 09.3"
15	N26° 09' 27.6"	E 91° 56' 46.8"
16	N26° 08' 32.6"	E 91° 56' 57.3"
17	N26° 08' 15.5"	E 91° 56' 39.4"
18	N26° 07' 37.9"	E 91° 56' 26.9"
19	N26° 07' 26.0"	E 91° 56' 03.9"
20	N26° 07' 20.7"	E 91° 55' 47.7"
21	N26° 07' 21.3"	E 91° 55' 20.1"
22	N26° 07' 17.2"	E 91° 54' 52.6"
23	N26° 07' 09.7"	E 91° 54' 19.5"
24	N26° 06' 56.2"	E 91° 53' 27.1"
25	N26° 06' 16.7"	E 91° 53' 21.4"
26	N26° 06' 06.4"	E 91° 53' 12.1"

27	N26° 05' 57.3"	E 91° 52' 48.5"
28	N25° 05' 57.6"	E 91° 52' 35.0"
29	N26° 07' 08.7"	E 91° 49' 19.9"
30	N26° 07' 42.5"	E 91° 49' 08.3"
31	N26° 07' 59.3"	E 91° 49' 16.6"
32	N26° 08' 06.6"	E 91° 49' 26.9"
33	N26° 08' 15.1"	E 91° 51' 07.5"
34	N26° 08' 53.3"	E 91° 51' 57.2"
35	N26° 09' 04.1"	E 91° 50' 39.5"
36	N26° 09' 25.7"	E 91° 50' 26.2"
37	N26° 10' 12.1"	E 91° 49' 44.3"
38	N26° 10' 46.3"	E 91° 49' 53.2"
39	N26° 10' 59.6"	E 91° 50' 14.3"

Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise) : Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.